राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 1647/17/बीकानेर.
2. अपील संख्या – 1648/17/बीकानेर.
3. अपील संख्या– 1649/17/बीकानेर.
4. अपील संख्या – 1650/17/बीकानेर.
5. अपील संख्या – 1651/17/बीकानेर.
6. अपील संख्या– 1652/17/बीकानेर.
7. अपील संख्या – 1653/17/बीकानेर.
8. अपील संख्या – 1654/17/बीकानेर.
9. अपील संख्या– 1655/17/बीकानेर.
10. अपील संख्या – 1656/17/बीकानेर.
11. अपील संख्या – 1657/17/बीकानेर.
12. अपील संख्या– 1658/17/बीकानेर.
13. अपील संख्या – 1659/17/बीकानेर.
14. अपील संख्या – 1660/17/बीकानेर.
15. अपील संख्या– 1661/17/बीकानेर.
16. अपील संख्या – 1662/17/बीकानेर.
17. अपील संख्या – 1663/17/बीकानेर.

मैसर्स राजस्थान इन्फोटेक मीडिया सर्विस प्रा. लि.,
बीकानेर। ......अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी,
बीकानेर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य.

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक व श्री विनीत पारीक,
अभिभाषकगण ....व्यवहारी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 01/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील संख्या (1–17) 1647/2017 से 1663/2017 अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 422 से 438/अ.प्रा.–I/मनों कर/जयपुर/2016–17 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 12.09.2017 के विरूद्ध राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम 1957 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 4ए, 4एए, 5बी, 9ए व 10बीबी के तहत् प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन सभी अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का बीकानेर में 'केबल टेलीविजन नेटवर्क' सर्विस का व्यवसाय है तथा उसके द्वारा विभिन्न चैनलों के सेटेलाईट के जरिये ब्रॉडकास्ट सिग्नल प्राप्त कर एवं उन्हें केबल ऑपरेटरों (फ्रेंचाईजी) के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाये जाते हैं। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'बी', बीकानेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा व्यवहारी को प्रतिमाह कनैक्शन फीस रू. 100/– मानते हुए एवं रूपये 20/– प्रति उपभोक्ता मनोरंजन कर जमा कराने एवं मासिक प्रपत्र एस–5 दोहरी प्रति में उपभोक्ताओं के नाम–पते प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निरन्तर...............2

हुआ, ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने स्वविवेक के आधार पर अधिनियम की धारा 4ए, 4एए, 9ए, 5बी, 10बीबीबी सपठित नियम 18बीबीबी/18बीबी के तहत अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों दिसम्बर, 2008 से अप्रेल, 2009 एवं अप्रेल, 2010 से मार्च, 2011 (17 माह) के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश पारित किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त कर निर्धारण आदेशों में प्रतिमाह कनेक्शन फीस रू. 100/– मानते हुए प्रति उपभोक्ता रूपये 20/– की दर से तद्नुसार कर आरोपित किया गया एवं उक्त देय कर नियत समयावधि में जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर ब्याज भी आरोपित किया गया। इसी प्रकार विभाग द्वारा जारी निर्देशों/सम्मन की पालना नहीं किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 10बी के तहत् शास्ति रूपये 1,000/– भी आरोपित की गयी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	आलौच्य अवधि	कर निर्धारण आदेश दिनांक	आरोपित कर, ब्याज व शास्ति
1	2	3	4	5	6
1.	1647/2017	433	अक्टूबर, 2010	02.02.2012	5,68,810
2.	1648/2017	434	नवम्बर, 2010	02.02.2012	5,59,940
3.	1649/2017	436	जनवरी, 2011	02.02.2012	5,42,190
4.	1650/2017	435	दिसम्बर, 2010	02.02.2012	5,51,060
5.	1651/2017	438	मार्च, 2011	02.02.2012	1,34,390
6.	1652/2017	423	जनवरी, 2009	28.01.2011	3,16,880
7.	1653/2017	424	फरवरी, 2009	25.02.2011	3,16,880
8.	1654/2017	425	मार्च, 2009	28.03.2011	3,16,880
9.	1655/2017	428	मई, 2010	02.02.2012	6,13,170
10.	1656/2017	432	सितम्बर, 2010	02.02.2012	5,77,680
11.	1657/2017	437	फरवरी, 2011	02.02.2012	5,33,320
12.	1658/2017	426	अप्रेल, 2009	29.04.2011	3,16,880
13.	1659/2017	431	अगस्त, 2010	02.02.2012	5,86,550
14.	1660/2017	430	जुलाई, 2010	02.02.2012	5,95,420
15.	1661/2017	422	दिसम्बर, 2008	31.12.2010	3,16,880
16.	1662/2017	429	जून, 2010	02.02.2012	6,04,300
17.	1663/2017	427	अप्रेल, 2010	02.02.2012	6,22,040

4. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिसम्बर, 2008 से अप्रेल, 2009 एवं अप्रेल, 2010 से मार्च, 2011 तक के लिये पारित कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने व्यवहारी के सभी अपीलों को अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.2017 से अस्वीकार कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर व्यवहारी द्वारा यह 17 अपीलें कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश दिनांक 12.09.2017 का विरोध करते हुए कथन किया कि उसके द्वारा ब्रॉडकास्टर से सिग्नल रिसीव किये जाकर केबल ऑपरेटर (फ्रेन्चाईजी) के कन्ट्रोल रूम तक ही सप्लाई किये जाते हैं तथा केबल ऑपरेटर्स इन सिग्नल्स को अपने कन्ट्रोल रूम से स्वयं की केबल द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार केबल सर्विस उपभोक्ताओं तक 'केबल

निरन्तर...............3

टेलीविजन नेटवर्क' उपलब्ध कराने का कार्य व्यवहारी द्वारा नहीं किया जाकर केबल ऑपरेटरों (फ्रेन्चाईजी) द्वारा किये जाने से वे ही उक्त मनोरंजन के प्रभारी व्यक्ति होने के कारण मनोरंजन कर देयता का दायित्व भी इन्हीं केबल ऑपरेटर्स का है। अतः व्यवहारी का अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर देयता का कोई दायित्व नहीं बनता है। विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध करारोपण की कार्यवाही की जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने वैकल्पिक तर्क के साथ कर निर्धारण का विरोध करते हुए कथन किया कि व्यवसायी द्वारा केबल ऑपरेटर से जो राशि वसूल की गयी थी उसका पूरा लेखा उनके बहियात में दर्ज है एवं इस सम्बन्ध में तत्कालीन समय में सर्विस टैक्स के लागू होने से प्रत्येक उपभोक्ता अनुसार सर्विस टैक्स जमा कराकर सेन्ट्रल एक्साईज एवं कस्टम विभाग में रिटर्न भी प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें प्रतिमाह केबल ऑपरेटर के नाम सहित एवं उनसे प्राप्त की गई राशि का पूर्ण विवरण अंकित था, जिनकी प्रतियां भी पेश की गयी एवं अनुरोध किया कि एकपक्षीय रूप से सब्स्क्राईबर की संख्या मानते हुए जो कर निर्धारण किया गया है वह अपास्त कर उनके बहियात अनुसार पुनः गणना करने का भी निर्देश दिया जावे। विद्वान अभिभाषक श्री वी.के.पारीक द्वारा इस तर्क पर बल दिया कि चूंकि व्यवहारी कम्पनी द्वारा इसी मनोरंजन सेवा पर सर्विस टैक्स भी अदा किया है ऐसी स्थिति में एक ही सेवा पर दो कर आरोपणीय नहीं होने से इस आधार पर भी उन्हें निरस्त किया जाये।

8. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.03.2006 के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी की प्रति उपभोक्ता रूपये 20/– की दर से मनोरंजन कर अदा करने की देयता बनती है, तद्नुसार ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण किया गया है। कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **एस.बी. सेल्स टैक्स (वेट) रिवीजन पिटिशन संख्या 96/2012 मैसर्स रेडियन्ट सेटेलाईट प्रा0 लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015** पारित करते हुए करारोपण की पुष्टि की जा चुकी है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **31 टैक्स अपडेट 35 इण्डसइण्ड मीडिया एण्ड कम्युनिकेशन लि0 एवं (2005) 140 एस.टी.सी. 154 (एस.सी.) स्टेट ऑफ वैस्ट बंगाल बनाम मैसर्स पूर्वी कम्युनिकेशन व अन्य** का हवाला देते हुए कथन किया कि इसी बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी करारोपण की विधिसम्मत निर्णित किया गया है। इसी प्रकार उन्होंने कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय **सीटीओ बनाम मै. रेडियन्ट सेटेलाईट प्रा0 लि0, कोटा निर्णय दिनांक 18.08.2017** को उद्धरित करते हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण इन प्रकरणों से पूर्णतया आच्छादित हैं। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने व्यवहारी की अपीलें

निरन्तर...............4

अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

10. इन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विभिन्न चैनलों से प्राप्त सिग्नल एवं स्वयं की चैनल के सिग्नल उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने हेतु केबल ऑपरेटरों (फ्रेन्चाईजी) के माध्यम से पहुंचाने सम्बन्धी 'केबल टेलीविजन नेटवर्क' का स्वत्वधारी (Proprietor) मानते हुए अधिनियम की धारा 4ए, 4एए, 5बी, 9ए, 10बीबीबी सपठित नियम 18बीबीबी/18बीबी के अन्तर्गत मनोरंजन कर अदायगी का दायित्व व्यवहारी का मानकर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर दिसम्बर, 2008 से अप्रेल, 2009 एवं अप्रेल, 2010 से मार्च, 2011 तक की अवधि के लिये करारोपण के पृथक–पृथक आदेश पारित किये गये हैं।

11. उक्त प्रकरणों में विवाद का बिन्दु यह रहा है कि मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 4एए के तहत मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (MSO) पर कर का आरोपण किया जा सकता है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्धरित निर्णय **सीटीओ बनाम मै. रेडियन्ट सेटेलाईट प्रा0 लि0, कोटा निर्णय दिनांक 18.08.2017** से यह प्रकरण पूर्णतया आच्छादित हैं।

12. उक्त सभी प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं, उनमें करारोपण करते समय सब्स्क्राईबर की गणना वर्ष 2008–09, 2009–10 एवं 2010–2011 के विभिन्न चैनल के साथ किये गये अनुबंध के आधार पर की गयी है, जबकि सुनवाई के दौरान व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने विभाग द्वारा केबल ऑपरेटर के यहां पर की गई जांच की प्रतियां भी पेश की है जिसमें केबल ऑपरेटर के माध्यम से सब्स्क्राईबर की संख्या उनके द्वारा ली जाने वाली प्रतिमाह राशि एवं सकल राशि जो व्यवहारी कम्पनी को अदा की गई है, उसके गुणात्मक निष्कर्ष पर लगभग 200/– 300/– रूपये के बीच राशि आती है, जिससे सब्स्क्राईबर की संख्या की गणना भी की जा सकती है। चूंकि उक्त सभी विवादित महीनों के कर निर्धारण आदेश में एक समान सब्स्क्राईबर की संख्या मानकर कर निर्धारण किया गया है वह उचित प्रतीत नहीं होता हैं। इस बिन्दु पर प्रकरणों में पुनः कर निर्धारण किया जाना न्यायसंगत हैं, अतः समस्त प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर व्यवहारी की लेखा–पुस्तकों, विभागीय जांच एवं कम्पनी द्वारा सेन्ट्रल एक्साईज एवं कस्टम विभाग में प्रस्तुत किये गये रिटर्न, जिसमें केबल ऑपरेटर द्वारा प्राप्त की गयी राशि का विवरण भी सम्मिलित है, के आधार पर सब्स्क्राईबर की संख्या निश्चित करते हुए पुनः आदेश पारित करने के निर्देश दिये जाते हैं। कर निर्धारण अधिकारी अपने स्तर पर समुचित जांच एवे व्यवसायी के रिकॉर्ड की पुनः जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करे।

निरन्तर...............5

13. फलतः इस विधिक बिन्दु पर कि व्यवहारी कम्पनी मनोरंजन कर की धारा 4एए के तहत कर दायित्वाधीन है, पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है एवं उक्तानुसार माननीय कर बोर्ड के निर्णय **सीटीओ बनाम मै. रेडियन्ट सेटेलाईट प्रा0 लि0, कोटा निर्णय दिनांक 18.08.2017** के आलौक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार कर व्यवहारी को मनोरंजन कर के तहत् दायित्वाधीन माना जाता है एवं सभी प्रकरणों में वास्तविक उपभोक्ताओं की संख्या का निर्धारण व्यवहारी की बहियात, सेन्ट्रल एक्साईज में प्रस्तुत रिटर्न एवं केबल ऑपरेटर्स द्वारा किये गये भुगतान में औसत राशि का भाग देते हुए निर्धारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

14. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य